(117)

निम०/3434/2018/रीवा/भूराज

श्री मान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म० प्र०

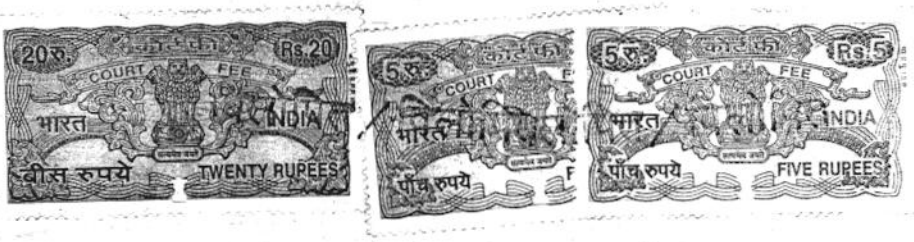

अधि०श्री दिनेशप्रसाद पटेल द्वारा पेश/04-6-18

रामनिवास तनय स्व०श्री निवाश त्रिपाठी ग्राम केमार बिड़वा तहसील हुजूर जिला रीवा म० प्र० ----- अपीलान्ट/आवेदक गण

बनाम

1–अश्वनी कुमार त्रिपाठी तनयश्री स्व० चन्द्रभान प्रसाद त्रिपाठी ग्राम केमार बिड़वा तहसील हुजूर जिला रीवा म०

2–श्रीमती पुष्पा त्रिपाठी पत्नी श्री स्व० साहव लाल त्रिपाठी

3– दिलीप त्रिपाठी पिता स्व० श्री साहव लाल त्रिपाठी

4–सुदीप त्रिपाठी पिता स्व० श्री साहव लाल त्रिपाठी

5–संदीप त्रिपाठी पिता स्व० श्री साहव लाल त्रिपाठी

6–बेवा रामप्यारी पत्नी स्व० श्री चन्द्रभान प्रसाद त्रिपाठी

7अ– श्री मती रामलली
7ब– श्री मती शगुन
7स–श्री मती बूटा देवी
7द– श्री मती सुनीता
7य– श्री मती संजू देवी
7र– सच्चिदा नन्द पुत्र
7क– श्री मती संगीता
7ख– श्री मती निर्मला
} उक्त सभी के पिता श्री रघुबीर शरण

8–श्री मती उषा द्विवेदी पत्नी श्री शिवकुमार द्विवेदी पुत्री श्री चन्द्रभान प्रसाद
9–मदनगोपाल तनय श्री स्व० राजीवलोचन मृत
9अ–राजेश त्रिपाठी पुत्र श्री मदनगोपाल त्रिपाठी
9ब–रामकृपाल त्रिपाठी पुत्र श्री मदनगोपाल त्रिपाठी
10–यज्ञनारायण तनय श्री स्व० श्री राजीवलोचन
11– बिष्णुप्रसाद तनय श्री स्व० श्री राजीवलोचन
12– मानवती पिता श्री स्व० श्री राजीवलोचन
13–रामवती पिता श्री स्व० श्री राजीवलोचन
14– प्रमोद त्रिपाठी पिता श्री स्व० गया प्रसाद
15– बिजय त्रिपाठी पिता श्रीस्व० गया प्रसाद

(117)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0/3434/2018/भू0 जिला– रीवा

रामनिवास विरूद्ध अश्वनी कुमार

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री हीरालाल पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 993/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 14-03-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 04-06-2018 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	